न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2022
Gems reg. No. 2022/34

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री सुरज पिता पीरु बंजारा निवासी भवानपुरा, खान्दुकोलोनी, थाना कोतवाली जिला बॉसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :– 22.06.2022

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री सुरज पिता पीरु बंजारा निवासी भवानपुरा, खान्दुकोलोनी, थाना कोतवाली जिला बॉसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 122/2015 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री सुरज के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 27–10–2015 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 177/2015 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 5000 रु. स्वयं के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 1000 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 140/2016 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री सुरज के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 13–05–2016 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 130/2016 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 10000 रु. स्वयं के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार ब[illegible] एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अ[illegible] न्यायालय में 500 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 509/2017 अन्तर्गत धारा [illegible]/54 आबकारी अधिनियम [illegible] थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री सुरज के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.06.23 15:18:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला म[illegible]
बांसवाड़ा (राज.)

09-02-2018 को जरिये फौजदारी प्रकरण से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 5000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 500 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

4. प्रथम सूचना क्रमांक 423/18, अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री सुरज के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा के न्यायालय में लम्बित है।
5. प्रथम सूचना क्रमांक 178/21, अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री सुरज के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा के न्यायालय में लम्बित है।
6. इस प्रकार गैरसायल श्री सुरज पिता पीरु बंजारा निवासी भवानपुरा, खान्दुकोलोनी, थाना कोतवाली जिला बॉसवाडा (राज.) जो अवैध शराब व्यापार करने पर कुल 5 प्रकरण दर्ज होकर 3 प्रकरणो में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है, 2 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। गैरसायल की ओर से दिनांक 06-06-2022 को अभिभाषक श्री आकाश पटेल द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 22-6-2022 को गैर सायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया। अतः अब किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती है।

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैर सायल श्री सुरज पिता पीरु बंजारा निवासी भवानपुरा, खान्दुकोलोनी, थाना कोतवाली जिला बॉसवाडा (राज.) को बांसवाड़ा तहसील क्षैत्र से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में बांसवाड़ा तहसील क्षैत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, गढी में निवास करेगा एवं थानाधिकारी गढी को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावेंगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30.06.2022 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बॉसवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.06.23 15:18:32 IST
Reason: SelfAttested